Publication	The Times of India	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	TNN
Date	02/08/2023	Page no	12
CCM	27.81		

RS passes multi-state coop bill after opposition walkout

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Rajya Sabha on Tuesday passed the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2023 to amend the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002, and the Biological Diversity (Amendment) Bill-2023, which has provisions for sharing benefits of biodiversity commerce with locals and decriminalises biodiversity-related offences even as the opposition staged a walkout before the bills were taken up for discussion. The bills were cleared by the Lok Sabha earlier.

The House also passed by voice vote the Mediation Bill, 2021, which halves the maximum time for completing mediation proceedings to 180 days.

Meanwhile, opposition continued to disrupt the House over Manipur violence demanding a discussion on the issue and the presence of the Prime Minister. When the proceedings began after the pre-noon adjournment, opposition parties resumed their sloganeering, but chairman Jagdeep Dhankhar continued with the Question Hour despite the din. Finally, the opposition INDIA bloc staged a walkout.

Stating that the demand for the PM's statement in the House was constitutionally "ill-premised", Dhankhar said: "I urge members to seriously introspect and not surrender the space of dialogue, discussion and deliberation, as the same will not serve the essence of the oath the members of this august house have taken."

In the afternoon, junior minister for cooperation, B L Verma moved the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2023 for consideration and passage. The bill, which had been approved by Lok Sabha on July 25, was passed in Rajya Sabha by voice vote in the absence of the opposition parties, who had staged a walkout earlier.

Replying to the concerns raised by members during the discussion on the bill, Verma said that the bill provides for norms for appointment of employees, which ensures that there is no scope for nepotism.

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	The Times of India	Language	English
Edition	Mumbai	Journalist	TNN
Date	02/08/2023	Page no	8
CCM	27.06		

Oppn walks out, RS clears co-op & bio diversity bills

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Rajya Sabha on Tuesday passed the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2023—which seeks to establish a 'Cooperative Election Authority' with a view to introduce electoral reforms in the cooperative sector —and the Biological Diversity (Amendment) Bill, 2023— which has provisions for sharing benefits of biodiversity commerce with locals and decriminalises biodiversity-related offences —even as the opposition staged a walkout before the bills were taken up for discussion. The bills were cleared by the Lok Sabha earlier.

The RS also passed by voice vote the Mediation Bill, which halves the maximum time for completing mediation proceedings to 180 days.

Meanwhile, the opposition continued to disrupt the House over the Manipur violence, demanding a discussion on the issue and the the PM's presence. When the proceedings began after the pre-noon adjournment, opposition parties resumed their sloganeering, but chairman **Jagdeep Dhankhar** continued with the question hour. Finally, the INDIA bloc staged a walkout.

Stating that the demand for the PM's statement in the House was constitutionally "ill premised", Dhankhar said: "I urge members to seriously introspect and not surrender the space of dialogue, discussion and deliberation, as the same will not serve the essence of the oath the members of this august House have taken."

"...We have plunged this institution... into virtual irrelevance. It does not gel with logic and [a] rationale approach that for over the last eight days, the House is being disrupted over the same issue," he said.

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	The Times of India	Language	English
Edition	Hyderabad	Journalist	TNN
Date	02/08/2023	Page no	16
CCM	2.52		

Rajya Sabha passes multi-state co-op bill

New Delhi: The Rajya Sabha on Tuesday passed the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2023 to amend the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002, and the Biological Diversity (Amendment) Bill-2023, which has provisions for sharing benefits of biodiversity commerce with locals and decriminalises biodiversity-related offences even as the opposition staged a walkout before the bills were taken up for discussion. The bills were cleared by the Lok Sabha earlier. TNN

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from
SAMVAD

Publication	Hindustan Times	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	02/08/2023	Page no	8
CCM	32.8		

Cooperative societies bill gets Parl clearance

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Rajya Sabha on Tuesday passed the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 through voice vote amid empty Opposition benches following a walkout. The bill was cleared by the Lok Sabha on July 25.

Minister of state for cooperation BL Verma moved the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 for consideration and passage in the Upper House, which was followed by speeches from members from treasury benches on the merits of the bill.

The Opposition continued its demand for a discussion on the Manipur ethnic violence. House chairman Jagdeep Dhankar said he had given a ruling for a short-duration discussion on the issue but the Opposition insisted on a debate under a separate rule.

Replying to queries on the bill, minister Verma said it provided for "far-reaching reforms" in the cooperative sector. "60% of the rural economy is dependent on cooperatives. Farmers' welfare is at the heart of Prime Minister Narendra Modi. This bill is the soul of the sector and will transform the rural economy," he said. The bill will bring transparency in the governance of cooperatives, which will be a key driver of economic growth, including the GDP target of $5 trillion, Verma said. A "cooperative election authority" to bring electoral reforms and prevent malpractices in the cooperative sector is being established for the first time, he added.

THE GOVT SAID THAT THE BILL PROVIDED FOR 'FAR-REACHING REFORMS' IN COOPERATIVE SECTOR

"There are over 800,000 cooperatives in the country, out of which 63,000 are active village-level primary agricultural cooperatives (PACS). The bill will enable them to become multi-dimensional and diversify their business," Verma said.

PACS will now be able to take up a range of economic activities, from LPG dealerships to setting up farmer producer organisations, he said.

In a short speech, fisheries minister Parshottam Rupala said India's cooperative sector was unique in the world. "In Sabarkantha, the Bal Gopal Bank, a cooperative, is run by children. It has savings totaling ₹16 crores, which will fund their education," he said.

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	The Hindu	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	02/08/2023	Page no	13
CCM	27.32		

Rajya Sabha passes the Multi-State Cooperative Societies Bill

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Rajya Sabha passed the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2023, on Tuesday as INDIA members walked out.

The Opposition has been demanding a discussion on the Manipur ethnic violence since the monsoon session began. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar said he has given a ruling for a short-duration discussion on the issue but the Opposition has been insisting the debate under a different rule. They have demanded that the Prime Minister make a statement in the House.

Minister of State Cooperation B.L. Verma moved the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2023, for consideration and passage in Rajya Sabha.

The Bill, which had been approved by Lok Sabha on July 25, 2023, was passed in Rajya Sabha by voice vote.

While replying to queries on the Bill, Mr. Verma said that the Bill provides norms for appointing employees, ensuring no nepotism practices exist.

The Bill seeks to establish a 'Cooperative Election Authority' with a view to introducing electoral reforms in the cooperative sector.

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Business Standard	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	02/08/2023	Page no	7
CCM	36.89		

Rajya Sabha clears tweaks to Bill for co-op societies' transparency

The Rajya Sabha on Tuesday gave its green light to the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill 2023. This Bill introduces significant amendments to the Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act.

These modifications aim to enhance the transparency and accountability of these cooperatives' operations in a bid to improve governance.

The MSCS Act has not seen changes since 2002, making these updates noteworthy. The Lok Sabha had previously approved the Bill.

India is home to around 1,500 multi-state cooperative societies and the majority of them are in Maharashtra. Credit societies constitute a majority of these multi-state cooperatives.

One of the key provisions in the amendments empowers the Centre to suspend a MSCS Board if it fails to meet within a prescribed time frame. The Union government also establishes a process for the liquidation of such cooperatives. To improve multi-state cooperative societies' governance, the Bill includes provisions for the creation of a cooperative election authority, cooperative information officer, and a cooperative ombudsman.

LS passes Bill to give production lease for offshore minerals

A Bill to provide a fixed 50-year production lease for offshore minerals was passed by Lok Sabha on Tuesday amid protests by the Opposition over the situation in Manipur.

Replying to a brief discussion in the House, Coal and Mines Minister Pralhad Joshi said under the Offshore Areas Minerals (Development and Regulation) Amendment) Bill, 2023, the government seeks to introduce auction as the route to award production lease for offshore minerals.

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	The Hindu Business Line	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	PTI
Date	02/08/2023	Page no	11
CCM	7.16		

Parliament passes a Bill to strengthen cooperatives

New Delhi: Parliament on Tuesday passed the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill 2023, which seeks to strengthen cooperatives by making their functioning more transparent, introducing a system of regular elections and prohibiting the appointment of related persons. The bill, approved by the Lok Sabha on July 25 was passed in the Rajya Sabha by voice vote as the opposition staged a walkout earlier. PTI

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Amar Ujala	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	02/08/2023	Page no	12
CCM	43.57		

पूरे देश में सहकारिता समितियां एक जैसे मानकों के तहत होंगी संचालित

सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में पारित

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। राज्यसभा में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। विपक्ष के हंगामे, नारेबाजी और सदन से बहिर्गमन के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद जैविक विविधता संशोधन विधेयक और मध्यस्थता विधेयक भी पारित हो गया। इसके साथ ही उच्च सदन में मंगलवार को तीन विधेयक पारित हुए और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 पेश किया गया।

बहुराज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक को सदन में चर्चा के लिए केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने सदन पटल पर रखा। वर्मा ने कहा यह संशोधन सहकारिता के विकास के लिए जरूरी हैं। इस चर्चा का जवाब देते हुए वर्मा ने कहा संशोधन विधेयक के पारित होने से सहकारिता आंदोलन में एक नए युग के सूत्रपात होगा। हालांकि सभापति ने इस बीच विपक्ष के बहिर्गमन पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया और सहकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला। राज्यमंत्री ने कहा कि सहकारिताओं के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और इस संशोधन से अब पूरे देश में सहकारिता एक समान मानकों के तहत संचालित हो सकेंगी। अब सहकारिता में मनमानी और कुप्रबंधन पर लगाम लगेगी। नई सोसाइटी डिफाल्टर नहीं बना पाएंगे।

आदिवासियों को अधिक हक

राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच जैविक विविधता संशोधन व मध्यस्थता विधेयक भी पारित हो गया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जैविक विविधता संशोधन विधेयक पर जवाब देते हुए कहा कि इस संशोधन से औषधीय जैव विविधता संरक्षित होगी। आदिवासी और स्थानीय लोगों को और अधिक अधिकार मिलेंगे।

लंबित मामलों के समाधान में तेजी

राज्यसभा ने इससे पहले मध्यस्थता विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित किया। इस विधेयक को कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मध्यस्थता विधेयक-2021 को चर्चा के लिए सदन पटल पर रखा। इस पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह लंबित मामलों में प्रभावी भूमिका का काम करेगा इसकी मदद से देश में समाधान में तेजी आएगी।

आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 पेश

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 सदन पटल पर पेश किया। इसी के साथ मंगलवार को राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट के मध्य 3 विधेयक पारित किए गए हैं। इसमें बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023, मध्यस्थता विधेयक है।

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Dainik Jagran	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	02/08/2023	Page no	9
CCM	43.99		

सहकारी समितियों में भाई-भतीजावाद पर लगेगी रोक, विधेयक पारित

नई दिल्ली, प्रेट्र: राज्यसभा ने मंगलवार को बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसमें कामकाज को ज्यादा पारदर्शी बनाकर, नियमित चुनावों की व्यवस्था करके और नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद पर रोक लगाकर सहकारी समितियों को मजबूत बनाने का प्रविधान किया गया है। लोकसभा इस विधेयक को 25 जुलाई, 2023 को पारित कर चुकी है।

सहकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने विधेयक को विचार के लिए राज्यसभा में पेश किया। वर्मा ने कहा कि इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए मानक दिए गए हैं जो भाई-भतीजावाद पर रोक सुनिश्चित करेंगे। राज्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र रोजगार पैदा कर सकता है क्योंकि एलपीजी और पेट्रोल पंप डीलरशिप जैसे क्षेत्रों में काम का दायरा बढ़ाकर सरकार सहकारी समितियों को मजबूत कर रही है। विधेयक में सहकारिता क्षेत्र में चुनाव सुधार शुरू करने के लिए कोआपरेटिव इलेक्शन अथारिटी की स्थापना का प्रविधान किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिकतम तीन सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। जनवरी में सरकार ने आर्गेनिक उत्पादों, बीजों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तीन नई बहु-राज्य सहकारी समितियों को स्थापित करने का फैसला किया था।

विधेयक में कोआपरेटिव रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड की स्थापना के लिए एक नया प्रविधान जोड़ा गया है ताकि बीमार बहु-राज्य सहकारी समितियों को पुनर्जीवन प्रदान किया जा सके। इसमें बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए समवर्ती आडिट, शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र, एक या अधिक सरकारी लोकपाल और सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रविधान है।

मध्यस्थता विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी

राज्यसभा ने मध्यस्थता विधेयक, 2021 को भी ध्वनिमत पारित कर दिया। इस विधेयक में मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकतम समय को आधा करके 180 दिन कर दिया गया है। साथ ही मुकदमे से पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य से स्वैच्छिक कर दिया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि इस विधेयक के तहत सरकार भारतीय मध्यस्थता परिषद बनाएगी।

महार समुदाय के लिए पर्यावाची शब्दों पर लोकसभा की मुहर

लोकसभा ने मंगलवार को संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित कर दिया। इस विधेयक के जरिये छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जातियों की सूची में महार समुदाय के लिए दो पर्यावाची शब्द (महारा एवं महरा) जोड़े गए हैं। इस कदम से राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दो लाख और लोगों को मिल सकेगा।

जैव विविधता विधेयक राज्यसभा से भी पारित

जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2023 को संसद ने पारित कर दिया है। जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन करने वाले इस विधेयक को रास ने पारित किया। लोस से यह 25 जुलाई को पारित हुआ था। विधेयक में जैव विविधता वाणिज्य का लाभ स्थानीय लोगों से साझा करने का प्रविधान है। जैव विविधता के अपराधों को अपराधों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।

Downloaded from SAMVAD

Publication	Jansatta	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	02/08/2023	Page no	5
CCM	47.9		

राज्यसभा ने बहु राज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 को दी मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अगस्त।

राज्यसभा ने मंगलवार को बहु राज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 में संशोधन के प्रावधान वाले इस विधेयक का उद्देश्य सहकारी समितियों के कामकाज को बेहतर, ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना तथा उनकी चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाना है। इस विधेयक को लोकसभा ने गत सप्ताह मंजूरी दी थी। मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के बहिर्गमन के बीच राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सहकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि इस विधेयक के कानून बन जाने से सहकारिता क्षेत्र को बहुत लाभ होगा और इसमें जो खामियां हैं, वे दूर होंगी।

उन्होंने कहा कि सहकारिता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दूरदृष्टि है, इस विधेयक के पारित होने के बाद वह उस दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता से समृद्धि की परिकल्पना को यह विधेयक साकार करने वाली है और सहकारिता आंदोलन जमीनी स्तर तक पहुंचेगी। वर्मा ने कहा कि इससे सहकारिता के क्षेत्र में व्याप्त भाई-भतीजावाद समाप्त होगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने 2025 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 5000 अरब डालर की बनाने का लक्ष्य रखा है और यह बगैर सहकारिता क्षेत्र के संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी हैं तथा इसमें करोड़ों लोगों को काम मिल सकता है। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए बीजू जनता दल (बीजद) के निरंजन बिशी ने कहा कि सहकारी संगठन जमीनी स्तर पर किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में कानून का उल्लंघन करने वाली सहकारी समितियों को दंडित करने का भी प्रावधान किया गया है।

उन्होंने सुझाव दिया कि इस विधेयक को सदन से पारित किए जाने से पहले संबंधित पक्षों की सभी चिंताओं का निराकरण किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि कुछ सदस्यों ने इस बात पर चिंता जताई है कि इस विधेयक के प्रावधानों से राज्यों के अधिकारों का हनन होता है। उन्होंने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें सहकारी समिति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का प्रावधान है। भाजपा के अनिल सुखदेवराव बोंडे ने सहकारी संस्थाओं में अधिक से अधिक किसानों, मजदूरों, ग्रामीणों को शामिल किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक में सहकारी संस्थाओं में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के प्रावधान बनाए हैं। उन्होंने कहा कि बहु राज्यीय संस्थाओं का नियमन होना आवश्यक है।

Internal (for authorised circulation only)
Downloaded from SAMVAD

Publication	Navbharat Times	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	02/08/2023	Page no	9
CCM	6.94		

को-ऑपरेटिव सोसायटी बिल पास

विस, नई दिल्ली : राज्यसभा ने मंगलवार को मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी (संशोधन) बिल 2023 को मंजूरी दी। इसे 25 जुलाई को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा में बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा ने कहा कि इस बिल के कानून बन जाने से सहकारिता क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इससे सहकारिता के क्षेत्र में भाई-भतीजावाद खत्म होगा और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Rashtriya Sahara	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	PTI
Date	02/08/2023	Page no	9
CCM	38.37		

बहु राज्य सहकारी समिति संशोधन बिल रास से पास

नई दिल्ली (भाषा)। राज्यसभा ने मंगलवार को बहु राज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 में संशोधन के प्रावधान वाले इस विधेयक का उद्देश्य सहकारी समितियों के कामकाज को बेहतर, ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना तथा उनकी चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाना है। इस विधेयक को लोकसभा ने गत सप्ताह मंजूरी दी थी।

मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के बहिर्गमन के बीच राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सहकारिता राज्यमंत्री बी एल वर्मा ने कहा कि इस विधेयक के कानून बन जाने से सहकारिता क्षेत्र को बहुत लाभ होगा और इसमें जो खामियां हैं, वे दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जो दूरदृष्टि है, इस विधेयक के पारित होने के बाद वह उस दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता से समृद्धि की परिकल्पना को यह विधेयक साकार करने वाली है और सहकारिता आंदोलन जमीनी स्तर तक पहुंचेगी।

वर्मा ने कहा कि इससे सहकारिता के क्षेत्र में व्याप्त भाई-भतीजावाद समाप्त होगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने 2025 तक अपनी अर्थव्यवस्था को

■ इस विधेयक को लोकसभा ने गत सप्ताह मंजूरी दी थी

5000 अरब डॉलर की बनाने का लक्ष्य रखा है और यह बगैर सहकारिता क्षेत्र के संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी हैं तथा इसमें करोड़ों लोगों को काम मिल सकता है। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए बीजू जनता दल के निरंजन बिशी ने कहा कि सहकारी संगठन जमीनी स्तर पर किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए बनाये जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में कानून का उल्लंघन करने वाली सहकारी समितियों को दंडित करने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस विधेयक को सदन से पारित किये जाने से पहले संबंधित पक्षों की सभी चिंताओं का निराकरण किया जाना चाहिए। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे और बाद में उन्होंने सदन से बहिर्गमन किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि कुछ सदस्यों ने इस बात पर चिंता जतायी है कि इस विधेयक के प्रावधानों से राज्यों के अधिकारों का हनन होता है।

****

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD